जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक 10.01.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 553/24 धारा 69/351(2) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.12.2024 को वादिया की थाना धामपुर पर तहरीर प्राप्त हुई कि अभियुक्त नाजिम अंसारी पुत्र नासिर अंसारी निवासी ग्राम मनकुआ थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया गया व जान से मारने की धमकी दी गई तथा शादी करने के एवज मे नगदी व बाइक की मांग की गई। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 553/24 धारा 69/351(2) बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना धामपुर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नाजिम अंसारी पुत्र नासिर अंसारी निवासी ग्राम मनकुआ थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नाजिम अंसारी पुत्र नासिर अंसारी निवासी ग्राम मनकुआ थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री ब्रजकिशोर शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 179 आलोक शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 859 संजय थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 10.01.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 452/24 धारा 115(2)/352/351(3)/103(1) बी0एनएस व धारा 3(2)/5 एस0सी/एस0टी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.11.2024 को वादी हेतराम सिंह पुत्र रामकिशन सिंह निवासी ग्राम ढेली अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण हरिओम सैनी पुत्र कलवा सैनी निवासी ग्राम ढेली अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी के भतीजे कोमल (उम्र 35 वर्ष) के साथ गाली-गलौंच करते हुए जाति सूचक शब्द कहे गये,जिसका कोमल उपरोक्त के द्वारा विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से लाठी व ईंट से वार किये गये,जिससे कोमल उपरोक्त गम्भीर रुप से घायल हो गया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 452/24 धारा 115(2)/109/117(2)/352/351(3) बीएनएस व धारा 3(2)/5 एस0सी/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग मे नामित अभियुक्त हरिओम सैनी पुत्र कलवा सैनी निवासी ग्राम ढेली अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 109/117(2) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम ढेली अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 452/24 धारा 115(2)/352/351(3)/103(1) बी0एनएस व धारा 3(2)/5 एस0सी/एस0टी0 में वांछित अभियुक्त राहुल कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

राहुल कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह सैनी निवासी ग्राम ढेली अहीर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. का0 बोबी कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. का0 सिद्धान्त कुमार थाना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 10.01.2025**

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी -2025 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

यातायात निदेशालय एवं पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की चैंकिग की जा रही हैं जिसके क्रम में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यावाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरुक किया जा रहा है।

दिनांक 10.01.2025 को यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान यातायात नियमों का उलघंन करने वाले **324** वाहनों के चालान किये गये**,** जिसमें **8,500/-** रुपये का शमन शुल्क वसूला गया जिसमें नशे की हालत में वाहन चलाने वाले **08** वाहनों के चालान किये गये, ओवर स्पीड में चलने वाले **25** वाहनों के स्पीड रडार लगाकर चालान किये गये, गलत दिशा में चलने वाले **13** वाहनों के चालान किये गये, दुपहिया वाहनों पर बिना हेल्मेट के चलने वालों के **152** वाहनों के चालान किये गये, बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने वाले **26** वाहनों के चालान किये गये ।